न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या :– 37/2020

वादीगण

1. श्री वेनाराम पुत्र रामाराम
2. श्री कालूराम पुत्र रामाराम
3. श्री राजाराम पुत्र रामाराम के कायम मुकाम
   3/1 गोविन्दराम पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3/2 दिनेश पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3/3 मनीष पुत्र स्व. श्री राजाराम
   3/4 ललिता पुत्री स्व. श्री राजाराम
4. श्री भलाराम पुत्र स्व. श्री रामाराम
5. श्रीमती सजकी पत्नी स्व. श्री रामाराम
6. श्रीमती उगीदेवी पुत्री स्व. श्री रामाराम
7. श्री खीमाराम पुत्र कानाराम
8. श्रीमती सूजी देवी पत्नी कानाराम
9. श्रीमती पतासीदेवी पुत्री कानाराम
10. श्रीमती पानी देवी पुत्री कानाराम
11. श्रीमती गीतादेवी पुत्री कानाराम
12. श्रीमती गोगा देवी पुत्री कानाराम
13. श्रीमती रेखा देवी पुत्री कानाराम
14. श्री भाखरराम पुत्र मगनाराम
    सभी जातियान पटेल निवासीगण रेन्दड़ी तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री चौथाराम पुत्र चुतराराम
2. श्री मालाराम पुत्र चुतराराम
3. श्री भगाराम पुत्र कानाराम
   सभी जातियान पटेल निवासीगण रेन्दड़ी तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

उपस्थिति

1. अधिवक्ता प्रार्थी सं. 1 व 2 (प्रतिवादी)– श्री ईश्वर सिंह
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण)– श्री हनुमान प्रजापति

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

आदेश

दिनांक :– 9/9/2024

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादीगण ने एक दावा बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा एवं तरमीम दुरस्ती बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया है जो गैर तज्वीज है वादीगण ने उक्त दावा पेश कर अपने वाद पत्र मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वाद ग्रस्त आराजी का पूर्व में बंटवाड़ा हो चूका है उक्त बंटवाड़ा नायब तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 24.10.71 को किया गया हैं। इस तरह से वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के तहत् उक्त भूमि का बंटवाड़ा किया जा चूका है जो कि उक्त बंटवाड़ा से सहमत नही हो तो नायब तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 24–10–71 को खारिज करने की अपील संबंधित न्यायालय मे करें। इस न्यायालय में पुनः बंटवाड़ा का वाद कानूनन पोषणीय नही है।
इस कारण वादीगण का दावा पूर्ण रूप से विधि द्वारा बाधित है वादीगण का दावा विधि द्वारा बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है इन परिस्थितियों में वादीगण का दावा इस आधार पर ही खारिज करने योग्य है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

इसके विपरीत वादीगण के अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही हैं न ही कोई तरमीम की हुई है जिस स्थान पर वादीगण का कब्जा व काश्त है वह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है मौके पर कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने के कारण वादीगण ने उक्त दावा प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य है इस कारण प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वाद–पत्र में पूर्व में उक्त विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नायब तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 24–10–71 को होने का उल्लेख किया है वादीगण ने दावा बंटवाड़ा का इस न्यायालय मे पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित है वादीगण के द्वारा मांगी गई इस्तदुआ इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त भूमि का बंटवाड़ा पूर्व मे हो चूका है। इस कारण से दावा चलने योग्य नही होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर (ग्रामीण)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आदेश आज दिनांक 9/9/2024 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर (ग्रामीण)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी